न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0–31/2016–17
राज्य बनाम छेदी गंझु, ग्राम–कुन्दा।

क्रमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
14.11.25	–:आदेश:– अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 200/रा0, दिनांक–28.02.2020 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक–695 (5)/रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक 2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 में दिये गये आदेश/निदेश के अनुपालनार्थ संदेहात्मक जमाबंदी की जांच की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् दी गई जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। जमाबंदीदार को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी कोई राजस्व कागजात दाखिल नही किया गया। प्रतिवादी को दिनांक–26.06.2016, 09.09.2022 एवं 31.05.2025 को नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला के उपरांत भी न तो प्रतिवादी उपस्थित हुए और न ही कोई कागजात ही दाखिल किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि छेदी गंझु ग्राम–कुन्दा के खाता नं0 111 प्लॉट नं0 22 रकवा 0.09 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है एवं भूमि का किस्म जंगल–झाडी है जो पंजी II के पृष्ट सं0 115/1 पर कायम जमाबंदी संदिग्ध पाया गया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम सादा है एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम हुई है। यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है अभिलेख एवं अभिलेख में संलंग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है किजंमाबंदी रैयत द्वारा 2003–04 एवं वर्ष–1984–85 से 2001 तक का निर्गत रसीद दाखिल किया गया है। भूमि पारित से संबंधित कोई कागजात दाकखल नही किया गया है। तीन रसीद और भी दाखिल किए है जो अपठनीय है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि/जंगल झाडी भूमि को नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 में प्रतिवेदित चेक स्लीप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार	

Scanned with OKEN Scanner

किया गया लेकिन प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नही पाये गये तथा WP(C) संख्या 202/1995 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.1996 के अनुसार जंगल जंगल–झाडी की भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–12.12.2017 में भी वन भूमि/जंगल झाडी (DEEMED FOREST) को नियमितिकरण हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संदिग्ध है। राज्य हित की क्षतिकारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधनें के लिए जमाबंदी कायम हुई है।

अतः BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् ग्राम–कुन्दा के खाता नं0 111 प्लॉट नं0 22 रकवा 0.09 ए0 किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाडी जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 131/1 पर छेदी गंझु ग्राम कुन्दा के नाम कायम है, की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

15.11.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

15.11.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by Deepak Kumar Mishra
Date: 2025.12.10 16:29:15 +05:30
Location: 10.65.205.149

Scanned with OKEN Scanner